बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

(छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय)

कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक 08.6.2017

कार्यालय आदेश संख्या 3/वि0 1–46/2013–23 /मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में विभाग द्वारा संचालित एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों के खिलाड़ियों को भारतीय खेल प्राधिकारण के STC एवं आर्मी ब्यॉज स्पोर्टस सेन्टर (ABSC) के खिलाड़ियों के समान सुविधा उपलब्ध कराने तथा केन्द्र के संचालन हेतु खाद्य एवं विभिन्न मदों में महंगाई में अप्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप खिलाडियों का भोजन, खेल किट्स, प्रशिक्षकों का मानदेय, सहायक रसोईया रखने की स्वीकृति एव अन्य मदों में निम्न प्रकार के दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0	मद का नाम	वर्तमान दर	नया स्वीकृत दर	अभियुक्ति
I	भोजन	100/रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	225/–रू0 (दौ सौ पच्चीस) मात्र प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	वर्ष में कुल 300 दिनों हेतु भोजन मेनु भारतीय खेल प्राधिकारण, भारत सरकार के अनुरूप।
II	रसोईया का मानदेय	3000/रूपये प्रतिमाह	6000/--रू0 (छःहजार)मात्र प्रतिमाह की दर से	
III	सहायक रसोइया का मानदेय	पूर्व मे सुविधा नहीं थी।	3000/–रू0(तीन हजार) मात्र प्रतिमाह की दर से	जुलाई माह से रखने हेतु स्वीकृति प्रदान। जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा चयनित
IV	खेल किट्स	2500/–रूपये मात्र प्रति खिलाड़ी वार्षिक।	5000/–रू0 (पॉच हजार) मात्र एवं फुटबॉल एवं हॉकी खिलाडियों के लिए 1000/–रू0 (एक हजार) मात्र (किट्स हेतु अतिरिक्त राशि)।	2500/–रू0 दो हजार पांच सौ रूपये) मात्र अर्द्धवार्षिक की दर से व्यय किया जाना है।
	छात्रावास अधीक्षक का मानदेय	1000/–रूपये मात्र	2000/–रू0 (दो हजार) मात्र प्रतिमाह।	
V	प्रशिक्षक का मानदेय 1. एन0आई0एस0 से डिप्लोमा इन स्पोर्टस कोचिंग एव अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/प्रशिक्षक	पूर्व मे निर्धारित नहीं	**30,000/–रू0** (तीस हजार) मात्र।	प्रशिक्षक का मानदेय पूर्व में दो स्तर की ही थी। संशोधन उपरान्त प्रशिक्षक का चार स्तर पर मानदेय निर्धारित की गयी है।
	2. एन0आई0एस0 से डिप्लोमा इन स्पोर्टस कोचिंग एव राष्ट्रीय खिलाडी।	10,000/– (दस हजार) रूपये मात्र।	**25,000/–रू0** (पच्चीस हजार) मात्र	
	3. राष्ट्रीय खेल में प्रतिभागिता/अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय खेल में पदक प्राप्त।	पूर्व मे निर्धारित नहीं।	**20.000/–रू0** (बीस हजार) मात्र।	
	4. राष्ट्रीय खेल/अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय खेल में प्रतिभागिता।	8,000/– (दस हजार) रूपये मात्र।	**15,000/–रू0** (पन्द्रह हजार) मात्र।	

2. नई संशोधित दर माह जुलाई 2017 से लागू मानी जाएगी ।
3. एकलव्य खेल केन्द्र के संचालन हेतु संबंधित जिला के जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा/अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा केन्द्र के संचालन हेतु संबंधित एकलव्य खेल केन्द्रों के प्रधान को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं प्रत्येक माह व्यय विवरणी निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।
4 खाद्य सामग्रियों का क्रय सरकार के नियम के अनुसार किया जाएगा एवं हाल में गुणवत्ता बनाए रखा जाएगा। निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये भोजन मेनू के अनुरूप खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
5. खिलाडियों की उपस्थिति प्रतिदिन दो बार अंकित की जानी है एवं भोजन हेतु अलग से पंजी संधारित की जाएगी जिसमें भोजन प्राप्त करने वाले खिलाडी/प्रशिक्षक अपना पूरा हस्ताक्षर करते हुए भोजन की गुणवत्ता के बारे में अभियुक्ति एवं "भोजन मेनू के अनुसार है" अंकित करेंगे। जिसका जिला, प्रमंडल एवं मंख्यालय स्तर से औचक निरीक्षण किया जाएगा।
6. प्रशिक्षण केन्द्र के आवासन स्थल पर कम से कम 3 x 2 फीट या उससे बडे आकार का सूचनापट्ट पर प्रतिदिन का निर्धारित मेनू अंकित किया जाना अनिवार्य है, (भोजन मेनू संलग्न)।
7. माह जुलाई 2017 से सहायक रसोईया रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है जिला संचालन समिति द्वारा पर इसका चयन किया जाएगा।
8. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव एवं माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

8.06.17

(डॉ0 संजय सिन्हा) **भा0प्र0से0**
निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण।

ज्ञापांक :– 3/वि01–46/2013......631........../ .... पटना, दिनांक 08.6.2017
प्रतिलिपिः–संबंधित जिला के जिला खेल पदाधिकारी,/उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा/पटना /बक्सर /कैमूर/रोहतास/सिवान/मधुबनी/दरभंगा/नालंदा/मुजफ्फरपुर/सीतामढी/प0चम्पारण (बेतिया)/पूर्णियाँ/भागलपुर/मुंगेर/वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.06.17
निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण।

ज्ञापांक :– 3/वि01–46/2013......631........../ .... पटना, दिनांक 08.6.2017
प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं 3/ बजट सहायक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.06.17
निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण।

ज्ञापांकः– 3/वि01–46/2013......631....../ .... पटना, दिनांक 08.6.2017
प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पटना /बक्सर /कैमूर/ रोहतास/ नालंदा/सिवान/मुजफ्फरपुर /सीतामढी/पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/ पूर्णियाँ/ भागलपुर/मुंगेर/वैशाली/मधुबनी/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.06.17
निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण।

ज्ञापांकः– 3/वि01–46/2013......631............/ .... पटना, दिनांक 08.6.2017
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं अपर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.06.17
निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण।